मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 05/05/2020, दिनांक 09-08-2021

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा - 2020

उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.) के पदों हेतु आयु सीमा तथा शारीरिक मापदंड की संसूचना

शुल्क वापसी आवेदन अवधि 17-08-2021 से 31-08-2021 तक

01 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 का विज्ञापन क्रमांक **05/2020,** दिनांक 29-12-2020 आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** पर जारी किया गया है। उक्त विज्ञापन के संदर्भ में निम्नानुसार संशोधन संसूचित किए जा रहे है :-

02 उक्त विज्ञापन में विज्ञापित उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.) की आयु सीमा तथा शारीरिक मापदंड निम्नानुसार है:-

(क) आयु सीमा :- अभ्यर्थी द्वारा 21 वर्ष की न्यूनतम आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की अधिकतम आयु पूर्ण न की हो

आयु संगणना तिथि :- 01.01.2021

(ख) आयु सीमा में देय छूट :-

वर्ग विशेष को देय छूट

(1) **मध्य प्रदेश शासन** , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारीयों/ नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी** ।

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

प्रोत्साहन स्वरूप देय छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप (1) प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट (1) उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(2) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 38 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(ग) **शारीरिक तथा चिकित्सकीय मापदंड**

गृह विभाग के उक्त वर्दीधारी पदों हेतु निम्नानुसार शारीरिक अर्हता निर्धारित हैं -

लिंग	ऊंचाई से.मी. में	सीने का घेरा	
		बगैर फुलाए से.मी. में	पूर्णत: फुलाने पर से.मी. में
1	2	3	4
पुरुष	168	84	89
महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नही	सीने का माप अपेक्षित नही

- बिना फुलाए तथा फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना चाहिए । इस मामले मे कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
- अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए.।
- अभ्यर्थी चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना चाहिए और दृष्टि जॉच (विजन टेस्ट) मे अल्प दृष्टि नहीं होना चाहिए उसकी समस्त रगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होना चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए ।
- यदि अभ्यर्थी उक्त अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

03 जो अभ्यर्थी उक्त आयु सीमा / शारीरिक तथा चिकित्सकीय मापदंडों को पूरा नहीं करते वे उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.) के पदों हेतु चयन/नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

04 बायलर निरीक्षक के पदों के विलोपन के बाद मेकेनिकल इंजीनियरिंग तथा आटोमोबाइल इंजीनियरिंग विषयों हेतु केवल उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.) के पद शेष है। अत: उक्त दोनों विषयों के अभ्यर्थी जो निर्धारित आयु सीमा/ शारीरिक तथा चिकित्सकीय मापदंडों को पूर्ण नहीं करते उनके लिए शुल्क वापसी की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। वे www.mponline.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गयी लिंक से दिनांक 17-08-2021 से 31-08-2021 तक शुल्क वापसी हेतु आवेदन कर सकते है।

05 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

सचिव